रजिस्ट्री सं० डीएल-33004/96

REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub- section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 189] नई दिल्ली सोमवार, जून 17, 1996/ज्येष्ठ 27, 1918
No. 189] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 17, 1996/JYAISTHA 27, 1918

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 1996

सं. 31/96-सीमाशुल्क

सा. का. नि. 247(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 110/95-सीमाशुल्क, तारीख 5 जून, 1995 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:—

उक्त अधिसूचना में,—

(क) शर्त (6) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु पूंजी माल ऐसे अन्य विनिर्माता के कारखाने में संस्थापित किया जा सकेगा जिसका नाम और पता शर्त (1) में निर्दिष्ट अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकित हैं जहां शर्त (3) के निबंधनों के अनुसार शुल्क के पूर्ण अन्तर के लिए, बैंक प्रत्याभूति सहित एक बंधपत्र इस अधिसूचना की निर्यात बाध्यता और अन्य सभी शर्तों को पूरा करने और ब्याज सहित उस शुल्क का जो व्यतिक्रम की दशा में देय हो जाता है, संदाय करने के लिए संयुक्त रूप से और पृथकत: स्वयं को आबद्ध करते हुए आयातकर्ता और ऐसे विनिर्माता द्वारा निष्पादित किया जाता है";

(ख) सारणी के स्तंभ (2) में क्रम सं. 4 के सामने "10 प्रतिशत" अंकों और शब्द के स्थान पर "20 प्रतिशत" अंक और शब्द रखे जाएगें;

(ग) स्पष्टीकरण के खंड (v) में "स्थान को निर्यात" शब्दों के पश्चात् "या आयात और निर्यात नीति के पैरा (121) के खंड (क), खंड (ग), खंड (ङ), खंड (च) और खंड (झ) के निबंधनों के अनुसार ऐसे उत्पादों का प्रदाय करना" शब्द, अंक, कोष्टक, और अक्षर रखे जाएंगे।

[फा. सं. 605/132/96-डीबीके]

ए. के. मदान, अवर सचिव

पाद टिप्पण :— मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, सा.का.नि. 480(अ) तारीख 5 जून, 1995 द्वारा प्रकाशित की गई थी और सा.का.नि. 599(अ), तारीख, 25 अगस्त, 1995, सा.का.नि. 655(अ), तारीख 19 सितम्बर, 1995 और सा.का.नि. 702(अ), तारीख 27 अक्तूबर, 1995 द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, 17th June, 1996

No. 31/96-CUSTOMS

G.S.R. 247(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 110/95-Customs, dated the 5th June, 1995 namely:—

In the said notification,—

(a) in condition (6), the following proviso shall be added, namely,—
"Provided that the capital goods may be installed in the factory of another manufacturer whose name and address are endorsed on the licence referred to in condition (1) where the bond for the full difference of duty in terms of condition (3), with a Bank Guarantee is executed by the importer and such manufacturer binding themselves jointly and severaly to fulfil the export obligation and all other conditions of this notification and to pay duty with interest in case of default";

(b) in the TABLE, in column (2), against serial No. 4, for the figures "10%", the figures "20%" shall be substituted;

(c) in the *Explanation,* in clause (v), for the words of this notification;" the words, brackets, letters and figures", "in terms of this notification; or making of supplies of such products in terms of clauses (a), (c), (e), (f) and (i), of paragraph 121 of the Export and Import Policy;" shall be substituted.

[F. No. 605/132/96-DBK]

A.K. MADAN, Under Secy.

FOOT NOTE :—Principal notification was published in the Gazette of India vide GSR 480(E) dated the 5th June, 1955 and amended vide GSR 599(E) dated the 25th August, 1955, 655(E) dated the 19th September, 1955 and 702(E) dated 27th October, 1995.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 1996

सं. 32/96-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 248(अ):—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुऐ, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 111/95-सीमाशुल्क, तारीख 5 जून, 1995 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(क) सारणी के स्तंभ (2) में क्रम संख्या (4) के सामने "10 प्रतिशत" अंकों और शब्द के स्थान पर "20 प्रतिशत" अंक और शब्द रखें जाएंगे;

(ख) स्पष्टीकरण के खंड (5) में, निर्यात शब्द के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
"या आयात और निर्यात नीति के पैरा 121 के खंड (क), खंड (ग), खंड (ङ), खंड (च) और खंड (झ) में यथाविनिदिष्ट प्रदान करना ।"

[फा. सं. 605/132/96-डी.बी.के.]

ए. के. मदान,अवर सचिव

पाद टिप्पण:—मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, सा.का. नि. 481(अ), तारीख 5 जून,1995 द्वारा प्रकाशित की गई थी और सा.का.नि. 654(अ),तारीख 18 सितम्बर, 1995 और सा. का. नि. 702(अ), तारीख 27 अक्तूबर, 1995 द्वारा संशोधन किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17 June, 1996

No. 32/96-CUSTOMS

G.S.R. 248(E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 111/95-Customs, dated the 5th June, 1995, namely:—

In the said notification,—

(a) in the TABLE, in column (2), against serial No. 4, for the figures "10%", the figures "20%" shall be substituted;

(b) In the *Explanation*, in clause (5), the following shall be added at the end, namely:—

"or making of supplies of such products in terms of clauses (a), (c), (e), and (i) of paragraph 121 of the Export and Import Policy".

[F. No. 605/132/96-DBK]
A.K. MADAN, Under Secy.

FOOT NOTE : Principal notification was published in the Gazette of India vide GSR 481(E) dated the 5th June, 1995, and amended vide GSR 654(E) dated the 18th September, 1995 and 703(E) dated the 27th October, 1995.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996